फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रमज्या उर्फ रामजीलाल वगै0 बनाम राज0 सरकार आदि

किस्म मुकदमा—स्थगन प्रा0पत्र नम्बर—37—सन्— 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.05.25 | अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री विश्राम गुर्जर उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थगन प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा ग्राम ढिगारिया कपूर में स्थित आराजी खसरा नंबर 834 व 835 के संबंध में सीमाज्ञान हेतु दिनांक 15.5.2024 को बिना अपीलांट को सुनवाई का मोका दिये ही अवैधानिक तरीके से आदेश पारित कर दिया जिसकी पालना में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 20.5.2024 को अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण से मिल कर अवैध मौका रिपोर्ट बना दी जबकि उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा एक दुरूस्ती का वाद उपखंड अधिकारी मण्डावर के न्यायालय में पहले से ही कर रखा है जो विचाराधीन है जिसका उनवानी रमज्या बनाम इन्द्रा है। इस संबंध में उप,ांड अधिकारी मण्डावर द्वारा वनास्पति आदि के प्रार्थना पत्र 128 का निर्णय दिनांक 2.12.2024 को किया जा चुका है व खारिज किया जा चुका है। इस संबंध में अपीलांट ने श्रीमान जिला कलक्टर दौसा को दिनांक 22.5.2024 को एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को दिनांक 16.5.2024 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसके बावजूद तहसीलदार द्वारा तमाम तथ्यों पर विचार किये ही अवैधानिक रूप से सीमाज्ञान कराने के आदेश दिनांक 15.5.24 को दे दिये।गलत मौका रिपोर्ट व कार्यालय आदेश दिनांक 15.5.2024 की आड में मौके पर परिवर्तन कराने को आमादा है जबकि उक्त भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में मामले विचाराधीन है। इसलिए ताफैसला अपील आराजी खसरा नंबर 834 व 835 वाके ग्राम ढिगारिया कपूर के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित है वरना अपीलांट का अपील करने का मतलब ही समाप्त हो जायेगा तथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति अतः स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील के अंतिम निस्तारण तक ग्राम ढिगारिया कपूर में स्थित आराजी खसरा नंबर 834 व 835 के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावें।<br>अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मूल नामा. अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है .कि उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा एक दुरूस्ती का वाद उपखंड अधिकारी मण्डावर के न्यायालय में पहले से ही कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन वाद में हक हकूक तय होने है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के विपक्ष में तय किये जाते है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल होकर मूल अपील के संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनायागया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Devendra Kumar<br>Date: 2025.10.01 11:34:00 IST<br>Reason: SelfAttested<br>कलक्टर<br>सत्यमेव जयते<br>Web Copy - Not Official | |